

[2024] 11 S.C.R. 2362 : 2024 INSC 901

सोनम लकड़ा

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य व अन्य

(सिविल अपील सं. 12326/ 2024)

14 नवंबर, 2024

[सूर्य कांत एवं उज्ज्वल भुइयान, न्यायाधीशगण]

## विचारार्थ विवादक

क्या निर्वाचित महिला सरपंच का प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा पद से हटाया जाना आवश्यक था?

## शीर्ष टिप्पण

निर्वाचित महिला सरपंच को झूठे और असमर्थनीय आधारों पर पद से हटाने हेतु प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा अपने प्राधिकार का दुरूपयोग - नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त की घोर अवहेलना :

**अभिनिर्धारित :** अपीलार्थी एक निर्वाचित सरपंच है तथा उसने ग्राम के विकास हेतु अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं - कतिपय निर्माण कार्यों में विलंब अन्यायपूर्ण रीति से अपीलार्थी के पद से हटाए जाने का कारण बना - अपीलार्थी ने उच्च प्राधिकारियों से अनुतोष की मांग की - उच्च न्यायालय ने उसकी अपील खारिज कर दी - अभिनिर्धारित- ग्राम पंचायत के सदस्यों ने प्रशासनिक प्राधिकारियों के साथ मिलकर निर्वाचित सरपंच के कार्यों को बाधित करने का सुनियोजित प्रयास किया - जिला प्रशासन के स्तर पर कार्यवाहियों के समय नैसर्गिक न्याय के सुस्थापित सिद्धान्तों की घोर अवहेलना हुई - झूठे और असमर्थनीय आधारों पर अपीलार्थी को पद से हटाने हेतु लचर बहाने से कार्यवाही प्रारंभ की गई - आक्षेपित आदेश निरस्त - अपीलार्थी कार्यकाल समाप्त होते तक पद पर बनी रहेगी - राज्य अपीलार्थी द्वारा सामना किए गए उत्पीड़न के कारण व्यर्थों का भुगतान करेगी।

**निर्वाचित जन प्रतिनिधि तथा चयनित लोक सेवक में भेद :**

**अभिनिर्धारित :** यह समझ से परे है कि किस प्रकार एक उप-मण्डल अधिकारी किसी निर्वाचित प्रतिनिधि को हटाने का आदेश दे सकता है - प्रशासनिक प्राधिकारी एक निर्वाचित जन प्रतिनिधि तथा एक चयनित लोक सेवक के मध्य मौलिक भेद को पहचानने में असफल रहे - सरपंच की तरह निर्वाचित प्रतिनिधियों से बहुधा नौकरशाहों के अधीनस्थों की तरह व्यवहार किया जाता है - यह भ्रामक तथा स्वघोषित पर्यवेक्षी शक्ति, निर्वाचन द्वारा प्रदत्त लोकतांत्रिक वैधता की पूरी तरह

अवहेलना कर निर्वाचित प्रतिनिधियों को सिविल पदों पर आसीन लोक सेवकों के बराबर लाने के उद्देश्य से थोपी जाती है। [कण्डिका 12]

महिला सरपंचों के विरुद्ध प्रतिशोध की भावना से प्रशासनिक प्राधिकारियों की मिली- भगत वाले समान प्रकरणों की आवर्ती पद्धति - पूर्वाग्रह तथा भेदभाव के पद्धतिबद्ध मुद्दों को उजागर करना - महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने का प्रयास करने की आवश्यकता है :

**अभिनिर्धारित :** महिला सरपंचों के विरुद्ध प्रतिशोध की भावना से प्रशासनिक प्राधिकारियों की मिली- भगत वाले समान प्रकरणों की आवर्ती पद्धति - पूर्वाग्रह तथा भेदभाव के पद्धतिबद्ध मुद्दे - मनीषा रवींद्र पानपाटिल बनाम महाराष्ट्र राज्य का अवलंब लिया गया -महिला सरपंचों से जुड़े मामले अक्सर प्रशासनिक कामकाज के विभिन्न स्तरों पर अनुचित व्यवहार के एक व्यापक पद्धति को उजागर करते हैं- प्रशासनिक अधिकारियों को, वास्तविक शक्तियों के संरक्षक और पर्याप्त समृद्ध होने के नाते, उदाहरण बनकर नेतृत्व करना चाहिए, ग्रामीण और सुदूर क्षेत्रों में महिला नेतृत्व वाली पहलों का समर्थन करना चाहिए तथा महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देने का प्रयास करना चाहिए। [कण्डिका 14, 15]

**भारत का संविधान, अनुच्छेद 226 - उच्च न्यायालय के पास व्यापक विवेकाधिकार है - रिट याचिका पर विचार कर सकता है, भले ही वैकल्पिक उपाय मौजूद हों:**

**अभिनिर्धारित :** उच्च न्यायालय, अनुच्छेद 226 के तहत अधिकारिता का प्रयोग करते हुए एक रिट याचिका पर विचार करने के लिए व्यापक विवेकाधिकार रखता है, भले ही वैकल्पिक उपाय उपलब्ध हों - विशेष रूप से उन प्रकरणों में जहां कार्यपालिका ने लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर करने के लिए अपनी शक्ति का खुलेआम और बेशर्मी से दुरुपयोग किया हो। [कण्डिका 16]

|                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>उद्धृत निर्णय विधि</b>                                                                                                |
| मनीषा रवींद्र पानपाटिल बनाम महाराष्ट्र राज्य, 2024 आई. एन. एस. सी 762 : [2024] 9 एस. सी. आर. 770 - पर का अवलंब लिया गया। |
| <b>अधिनियमों की सूची</b>                                                                                                 |
| छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993; छत्तीसगढ़ पंचायत (अपील व पुनरीक्षण) नियम, 1995                                       |
| <b>मुख्य शब्दों की सूची</b>                                                                                              |
| महिला सरपंच का हटाया जाना; निर्वाचित जन प्रतिनिधि; चयनित लोक सेवक।                                                       |
| <b>प्रकरण उद्धृत</b>                                                                                                     |

सिविल अपील की अधिकारिता : सिविल अपील संख्या 12326/2024

रिट अपील सं. 109/2024 में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के 29.02.2024 दिनांकित निर्णय व आदेश से।

### पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

मनीष कुमार गुप्ता, लव कुमार शर्मा, शरदप्रकाश पाण्डेय, अधिवक्तागण, अपीलार्थी की ओर से।

विक्रान्त सिंह बैस, डी.ए.जी., विनायक शर्मा, रविंदर कुमार यादव, क्षितिज अग्रवाल, कृतिका यादव, अधिवक्तागण, उत्तरवादी की ओर से।

### सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय /आदेश

#### आदेश

अनुमति दी गई।

2. इस प्रकरण में अपीलकर्ता एक 27 वर्षीय महिला है, जिसकी जमीनी स्तर पर लोकतंत्र में सुधार की दिशा में मजबूत प्रतिबद्धता दर्शित होती है। इस दृष्टि से प्रेरित होकर, उसने 2020 में छत्तीसगढ़ के जिला जशपुर में सेजबहार ग्राम पंचायत, जिस गाँव से वे संबंधित है, के सरपंच के पद के लिए चुनाव लड़ा। तत्पश्चात् वह पर्याप्त अंतर से निर्वाचित घोषित हुई।

3. पंच का पद ग्रहण करने के बाद, अपीलार्थी ने गाँव के निवासियों के जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के उद्देश्य से गाँव के विकास की दिशा में कई उपाय किए। अपीलार्थी द्वारा महत्वपूर्ण प्रयास के बाद, जिला पंचायत, जशपुर ने महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक उद्यान योजना (आर.आई.पी.ए./ रिपा) के अंतर्गत सेजबहार गाँव के लिए 10 निर्माण परियोजनाओं को मंजूरी दी। इन निर्माण कार्यों में सड़कों और विद्यालयों जैसी सुविधाओं के साथ-साथ औद्योगिक अधोसंरचना का विकास सम्मिलित था, जिससे न केवल ग्रामीणों की भलाई होती बल्कि गाँव को वित्तीय तौर पर आत्मनिर्भर बनाने में सहायता मिलती। यद्यपि, जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने, ऐसी परियोजनाओं के लिए आवश्यक समय के संबंध में तकनीकी विशेषज्ञता न होने के बावजूद, तीन माह की सीमित अवधि के भीतर विकास कार्यों को पूर्ण किया जाना आज्ञापक करते हुए 16.12.2022 को एक कार्य आदेश (वर्क ऑर्डर) जारी किया। केवल मुख्य कार्यपालक अधिकारी को ही ज्ञात कारणों से, यह आदेश विलंब से 21.03.2023 को ग्राम पंचायत को तामील हुआ, जिसमें यह विडंबना है कि कार्य आदेश जारी होने की दिनांक से निर्धारित तीन महीने की अवधि उस तिथि को समाप्त होती थी।

4. तत्पश्चात् निष्पादन में विलंब के लिए अन्यायपूर्ण रूप से अपीलार्थी को जिम्मेदार ठहराया गया, जिसके परिणामस्वरूप 26.05.2023 को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, जिसके बाद आरोप-

पत्र जारी किया गया। अपने जवाब में, अपीलार्थी ने स्पष्ट किया कि निर्माण कार्य में कोई विलंब नहीं हुआ था। उसके स्पष्टीकरण के बावजूद, नौकरशाही घमण्ड के कारण उसे 18.01.2024 को पद से दिया गया।

5. व्यथित होकर अपीलार्थी ने उच्च अधिकारियों और उच्च न्यायालय से अनुतोष मांगा परन्तु हर मोड़ पर उसे अस्वीकृति का सामना करना पड़ा। विचलित हुए बिना, उन्होंने वर्तमान कार्यवाही शुरू की।

05.04.2024 को, इस न्यायालय ने उप-मंडल अधिकारी (राजस्व), फरसाबहार और उच्च न्यायालय के आदेशों पर रोक लगाते हुए अपीलार्थी को सरपंच के रूप में बहाल किया और निर्देश दिया कि उसे बिना किसी बाधा के अपने कर्तव्यों का पालन करने की अनुमति दी जाए।

6. प्रत्यर्थी- छत्तीसगढ़ राज्य ने एक जवाबी-हलफनामा प्रस्तुत किया है जिसमें यंत्रवत तर्क सम्मिलित हैं कि "अपीलार्थी को अपना पक्ष रखने के लिए पर्याप्त अवसर दिया गया था" और यह कि छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 तथा छत्तीसगढ़ पंचायत (अपील और पुनरीक्षण) नियम, 1995 के उपबंधों के अनुपालन में एक जांच की गई थी। आगे राज्य यह आरोप लगाता है कि अपीलार्थी पाँच मौकों पर कार्य समाप्ति प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में विफल रही थी।

7. जो भी हो, हमने पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है तथा अभिलेख पर प्रस्तुत सामग्री का सावधानीपूर्वक परिशीलन किया है।

8. यह प्रशासनिक निरंकुशता का एक उत्कृष्ट प्रकरण प्रतीत होता है। जिसके परिणामस्वरूप एक निर्वाचित सरपंच - एक युवा महिला है जो छत्तीसगढ़ में अपने दूरदराज के गाँव की सेवा के लिए समर्पित थी, को हटा दिया गया। उसकी प्रतिबद्धता को पहचानकर गाँव के विकास के लिए उसकी शक्ति का समर्थन करने के बजाय अधिकारियों ने उसे आधारहीन और अनपेक्षित कारणों से अनुचित रूप से दंडित किया। इस

9. प्रकरण का प्रथम दृष्टया परीक्षण ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मिलकर अपीलार्थी के पहलों (कार्यों) में बाधा डालने के प्रयास को प्रक्षेपवक्र रूप से उजागर करता है। इन व्यक्तियों ने निराधार तरीके से दुराचार के आरोपों से अपीलार्थी की विश्वसनीयता को कम करने की कोशिश की और जब ये हथकंडे विफल हो गए तो विकास परियोजनाओं को बाधित करने का रास्ता अपनाया। इस ठोस अभियान के कारण अंततः उसे विधिवत निर्वाचित सरपंच के पद से अन्यायपूर्ण तरीके से हटा दिया गया। यह चिंता का विषय है कि हर कदम पर, अपीलार्थी ने अनेक बाधाओं का सामना किया तथा उनके प्रयासों में उसे बहुत कम समर्थन मिला या कोई समर्थन नहीं मिला।

10. इस अपील में बाधा का पहला उदाहरण 16.12.2022 दिनांकित कार्य आदेश को इंगित किया जा सकता है, जो तीन माह के भीतर परियोजना को पूर्ण किया जाना आज्ञापक बनाता था परन्तु जिसे

निर्धारित अवधि बीत जाने के बाद ही अपीलार्थी को तामील किया गया। तत्पश्चात् 25.05.2023 को, निर्माण कार्य शुरू होने के बाद, उप-मंडल अधिकारी, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, फरसाबहार- जिस पर परियोजना की देखरेख करने की भी जिम्मेदारी थी, ने आर. आई. पी. ए. योजना के तहत कार्य पूरा करने में कथित विलंब पर अपना असंतोष व्यक्त किया और अपीलार्थी के विरुद्ध कार्यवाही करने का अनुरोध तक कर दिया।

11. जब जिला प्रशासन स्तर पर कार्यवाही शुरू हुई, न केवल अपीलार्थी के विरुद्ध लचर आरोपों को छानबीन किए बिना स्वीकार कर लिया गया बल्कि सुने जाने के मौलिक अवसर से भी उसे वंचित कर दिया गया। प्रशासनिक अधिकारियों को अपने अधिकार का दुरुपयोग करते हुए और प्राकृतिक न्याय के सुस्थापित सिद्धांतों की घोर अवहेलना करते हुए देखना बहुत परेशान करने वाला है। यह समझ से परे है कि कैसे उप-मण्डल अधिकारी (राजस्व), फरसाबहार ने 18.01.2024 दिनांकित आदेश जारी किया, जिसमें एक निर्वाचित प्रतिनिधि को ऐसी लापरवाही और जल्दबाजी से हटाने का निर्देश दिया गया था। यह और भी अधिक दिलचस्प है कि एक उप-मंडल अधिकारी जैसे एक कनिष्ठ अधिकारी को एक निर्वाचित सरपंच के भाग्य का निर्धारण करने का अधिकार दिया गया है।

12. प्रशासनिक अधिकारी अपनी औपनिवेशिक मानसिकता के साथ खेदजनक रूप से एक बार फिर निर्वाचित जन प्रतिनिधि और चयनित लोक सेवक के मध्य मौलिक विभेद को पहचानने में विफल रहे। निश्चित रूप से, अपीलार्थी जैसे निर्वाचित प्रतिनिधियों को अक्सर नौकरशाहों का अधीनस्थ समझा जाता है जो उन निर्देशों का पालन करने के लिए मजबूर होते हैं जो उनकी स्वायत्तता का अतिक्रमण करते हैं और उनकी जवाबदेही को बाधित करते हैं। यह भ्रामक तथा स्वघोषित पर्यवेक्षी शक्ति, निर्वाचन द्वारा प्रदत्त लोकतांत्रिक वैधता की पूरी तरह अवहेलना कर निर्वाचित प्रतिनिधियों को सिविल पदों पर आसीन लोक सेवकों के बराबर लाने के उद्देश्य से थोपी जाती है।

13. विकास कार्यों को पूरा करने में कथित विलंब के लिए अपीलार्थी पर अधिरोपित चयनात्मक जवाबदेही इन पहले से ही गंदे पानी को और अधिक दूषित कर देती है। यह इस तथ्य के बावजूद है कि इन परियोजनाओं की जिम्मेदारी उप-मंडल अधिकारी, ग्रामीण अभियांत्रिकी सेवा, उप-अभियंता, तकनीकी अधिकारी, जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालक अधिकारी और निष्पादन अभिकरण सहित अनेक हितग्राहियों के बीच साझा की गई थी। यह स्वयं स्पष्ट है कि निर्माण परियोजनाओं के लिए इंजीनियरों, ठेकेदारों, सामग्री की समय पर आपूर्ति के समन्वित प्रयासों की आवश्यकता होती है और ये मौसम आदि की अनिश्चितताओं के अधीन हैं। बिना किसी साक्ष्य के कि वह कार्य आवंटित करने या उनके निर्वाचित पद के लिए विशिष्ट कर्तव्य का पालन करने में विफल रही, विलंब के लिए केवल सरपंच को जिम्मेदार

ठहराना पूरी तरह अत्याचपूर्ण है। हम आश्चर्य हैं कि ये कार्यवाही एक तुच्छ बहाने से प्रारंभ की गई थी, ताकि अपीलार्थी को झूठे और असमर्थनीय आधारों के तहत पद से हटाया जा सके।

14. यह हमें गहराई से चिंतित करता है कि इसी तरह के प्रकरणों की एक आवर्ती पद्धति है, जहाँ प्रशासनिक अधिकारी और ग्राम पंचायत सदस्य महिला सरपंचों के विरुद्ध सटीक प्रतिशोध के लिए मिली-भगत करते हैं। इस तरह के प्रकरण पूर्वाग्रह और भेदभाव के एक प्रणालीगत मुद्दे को उजागर करें। हाल ही में, 27.09.2024 को निर्णित लिया गया, सिविल अपील सं. 10913/2024 में, जिसका शीर्षक '**मनीषा रवींद्र पनपाटिल बनाम महाराष्ट्र राज्य**' है, हमने देखा कि महिला सरपंचों से जुड़े प्रकरण अक्सर प्रशासनिक कार्य के विभिन्न स्तरों पर अनुचित व्यवहार के एक व्यापक पद्धति को प्रकट करते हैं। चिंताजनक रूप से, एक निर्वाचित महिला प्रतिनिधि को हटाने को, विशेष रूप से ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में, अक्सर एक आम प्रकरण माना जाता है, जिसमें प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की अवहेलना की जाती है और उसे एक चिरकालीन परंपरा जैसा समझा जाता है। यह निहित पूर्वाग्रह विशेष रूप से निराशाजनक है और गंभीर आत्मनिरीक्षण और सुधार की मांग करता है।

15. इस संदर्भ में, हमें इस बात पर जोर देना चाहिए कि एक राष्ट्र के रूप में जो एक आर्थिक महाशक्ति बनने का प्रयास कर रहा है, ऐसी घटनाओं को लगातार होते हुए और इतना सामान्य बनाया जाते हुए देखना कि भौगोलिक रूप से दूर के क्षेत्रों में भी उल्लेखनीय समानताएँ हैं, देखना दुःखद है। प्रशासनिक अधिकारियों को, वास्तविक शक्तियों के संरक्षक और पर्याप्त रूप से समृद्ध होने के नाते, उदाहरण बनकर नेतृत्व करना चाहिए, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए प्रयास करना चाहिए और ग्रामीण और सुदूर क्षेत्रों में महिला-नेतृत्व वाले पहलों (उपक्रमों) का समर्थन करना चाहिए। निर्वाचित पदों पर महिलाओं को हतोत्साहित करने वाले प्रतिगामी दृष्टिकोण को अपनाने के बजाय ऐसा वातावरण बनाना चाहिए जो शासन में उनकी भागीदारी और नेतृत्व को प्रोत्साहित करे।

16. इस संबंध में, हमारा यह भी विचार है कि उच्च न्यायालय को वैकल्पिक उपायों की उपलब्धता का हवाला देते हुए केवल तकनीकी आधारों पर अपीलार्थी की अपील को खारिज नहीं करना चाहिए था। यह ज्ञात विधि है कि उच्च न्यायालय के पास, संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अधिकारिता का प्रयोग करते हुए, रिट याचिका पर विचार करने का व्यापक विवेकाधिकार है, भले ही वैकल्पिक उपाय मौजूद हों, विशेष रूप से उन प्रकरणों में जहाँ कार्यपालिका ने जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर करने के लिए अपनी शक्ति का खुलेआम और बेशर्मी से दुरुपयोग किया हो।

17. इस प्रकार, उप-मंडल अधिकारी (राजस्व), फरसाबहार, जिला जशपुर, छत्तीसगढ़ द्वारा पारित 18.01.2024 दिनांकित आक्षेपित आदेश के साथ-साथ उच्च न्यायालय द्वारा पारित 29.02.2024

दिनांकित आक्षेपित आदेशों को रद्द कर दिया जाता है। अपीलार्थी अपना कार्यकाल पूरा होने तक ग्राम पंचायत जशपुर, छत्तीसगढ़ के सरपंच का पद संभालती रहेगी।

18. इसके अलावा, अपीलार्थी द्वारा सामना किए गए उत्पीड़न पर विचार करते हुए, जिसने उसे अपरिहार्य विधिक कार्यवाही हेतु विवश किया, हम प्रत्यर्थी- राज्य को चार सप्ताह के भीतर उसे वाद-व्यय रु.1,00,000/- (एक लाख रुपये) का भुगतान करने का निर्देश देते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्य सचिव को अपीलार्थी को उक्त राशि निर्धारित समय के भीतर जारी करने और उसके बाद अपीलार्थी के उत्पीड़न के लिए जिम्मेदार अवचारी अधिकारियों के विरुद्ध जांच करने का निर्देश दिया जाता है। राज्य प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार ऐसे गलती करने वाले अधिकारियों से वाद- व्यय की राशि की वसूल करने के लिए स्वतंत्र है।

18. इसके अतिरिक्त, अपीलार्थी

19. इस प्रकार, अपील तदानुसार निराकृत होती है।

20. परीणामस्वरूप, लंबित अंतर्वर्ती आवेदन भी, यदि कोई हो तो, निराकृत होते हैं।

प्रकरण का परिणाम- अपील निराकृत।

शीर्ष टिप्पण विधि ठक्कर, मानद सहयुक्त संपादक द्वारा तैयार किया गया। (शिवानि घोष, अधिवक्ता द्वारा सत्यापित)

**(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)**

**अस्वीकरण:** हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।